

FAQ on Micro Units (75% Subsidy to Micro units under PMS Scheme)

1. What is the Adoption of e-commerce Platform of Procurement and Marketing Scheme for Micro Enterprises?

माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाना क्या है?

To promote "Adoption of e-commerce platform among Micro Enterprises / Micro Units" under the Procurement & Marketing Scheme, Ministry of MSME is offering 75% Financial Assistance or maximum of Rs.25000/- (excluding applicable taxes) whichever is less per financial year to Micro Enterprises on MSME Global Mart portal - www.msmemart.com.

खरीद और विपणन योजना के तहत "सूक्ष्म उद्यमों / सूक्ष्म इकाइयों के बीच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाने" को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय 75% वित्तीय सहायता या अधिकतम रु. 25000/- जो भी प्रति वर्ष कम हो (लागू करों को छोड़कर) की पेशकश, सूक्ष्म उद्यमों को एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल पर दी जा रहा है www.msmemart.com.

2. What is the aim / objective of "Adoption of e-commerce Platform of Procurement and Marketing Scheme" for Micro Enterprises?

सूक्ष्म उद्यमों के लिए "उपार्जन और विपणन योजना के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाने" का लक्ष्य/उद्देश्य क्या है?

- To exhibit maximum Micro units on MSME Global Mart portal to increase their visibility and discoverability by bringing them online.
 - To provide handholding Support to MSMEs facing challenge in showcasing their products or services on digital space.
 - To contribute and support the growing "Make in India" economy.
 - To contribute in achieving the Prime Minister vision of 'Vocal for local' by making Indian MSMEs discoverable to the prospective buyers.
- एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल पर अधिकतम सूक्ष्म इकाइयों को ऑनलाइन लाकर उनकी दृश्यता और खोज क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रदर्शित करना।

- डिजिटल स्पेस पर अपने उत्पादों या सेवाओं को प्रदर्शित करने में चुनौती का सामना कर रहे एमएसएमई को सहायता प्रदान करना।
- बढ़ती "मेक इन इंडिया" अर्थव्यवस्था में योगदान और समर्थन करने के लिए।
- संभावित खरीदारों के लिए भारतीय एमएसएमई को खोजने योग्य बनाकर 'वोकल फॉर लोकल' के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में योगदान देना।

3. How much financial assistance is provided and for what all purposes?

कितनी वित्तीय सहायता और सभी उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है?

The financial assistance may be provided 75% of paid amount by Micro Enterprises subject to maximum Rs. 25,000/- (excluding applicable taxes), whichever is less per financial to new as well as renewal beneficiaries on annual membership fee /subscription fee / contingency expenses (photography, cataloguing, advertising etc.) for selling their products or services by Micro Enterprises (up to 10 new products) through e-commerce portal "MSME Global Mart" being operated by National Small Industries Corporation.

वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमों द्वारा भुगतान की गई राशि का 75% अधिकतम रुपये के अधीन प्रदान की जा सकती है। 25,000/- (लागू करों को छोड़कर), माइक्रो एंटरप्राइजेज द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क/सदस्यता शुल्क/आकस्मिक व्यय (फोटोग्राफी, कैटलॉगिंग, विज्ञापन आदि) पर नए के साथ-साथ नवीकरण लाभार्थियों के प्रति वित्तीय जो भी कम हो (10 नए उत्पादों तक) ई-कॉर्नेर्स पोर्टल "एमएसएमई ग्लोबल मार्ट" के माध्यम से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है।

4. What is the eligibility to avail this Scheme / Subsidy?

इस योजना/सब्सिडी का लाभ उठाने की पात्रता क्या है?

All Micro Enterprises / Units with Valid Udyam Registration

वैध उद्यम पंजीकरण के साथ सभी सूक्ष्म उद्यम / इकाइयां

5. Can the scheme be availed by both Manufacturing & Service Unit?

क्या इस योजना का लाभ मैनुफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट दोनों उठा सकते हैं?

Yes the scheme can be availed by both Manufacturing & Service Unit as long as it's a Micro Unit with a valid Udyam Registration

हाँ योजना का लाभ मैन्युफैक्चरिंग और सेवा इकाई दोनों द्वारा लिया जा सकता है जब तक कि यह वैध उद्योग पंजीकरण वाली माइक्रो इकाई है

6. I don't have Udyam registration, but I want to avail the scheme?

मेरे पास उद्यम पंजीकरण नहीं है, लेकिन मैं इस योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ?

In order to avail the scheme, one must have a valid Udyam certificate registered under the Micro Unit

योजना का लाभ उठाने के लिए, माइक्रो यूनिट के तहत पंजीकृत एक वैध उद्यम प्रमाणपत्र होना चाहिए

7. Is this scheme for existing members or new members of MSME Global Mart and how can I avail it?

क्या यह योजना एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के मौजूदा सदस्यों या नए सदस्यों के लिए है और मैं इसका लाभ कैसे उठा सकता हूँ?

- The scheme is applicable for both New / Fresh and Existing / Renewal members of MSME Global Mart.
- If you are free member on MSME Global Mart, you can avail this scheme with a valid Udyam certificate.
- If you are Gold member on MSME Global Mart, you can avail this scheme at the time of renewal. However other contingency expenses (photography, cataloguing, advertising etc.) can be availed by you now, if not availed already.
- यह योजना एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के नए/नए और मौजूदा/नवीनीकरण दोनों सदस्यों के लिए लागू है।
- यदि आप एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के स्वतंत्र सदस्य हैं, तो आप वैध उद्यम प्रमाणपत्र के साथ इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यदि आप एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पर गोल्ड सदस्य हैं, तो आप नवीनीकरण के समय इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि अन्य आकस्मिक व्यय (फोटोग्राफी,

कैटलॉगिंग, विज्ञापन इत्यादि) अब आपके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, यदि पहले से उपयोग नहीं किया गया है।

8. How will this scheme benefit to a Micro Unit for e-commerce portal MSME Global Mart?

ई-कॉमर्स पोर्टल एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के लिए एक माइक्रो यूनिट को इस योजना से कैसे लाभ होगा?

MSME Global Mart (www.msmemart.com) is a Business to Business (B2B) e-Marketing portal of National Small Industries Corporation (NSIC), a Government of India Enterprise under Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, facilitating Online Marketing Support to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to grow their business online, through below features:-

एमएसएमई ग्लोबल मार्ट (www.msmemart.com) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) का व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-मार्केटिंग पोर्टल है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उद्यम है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता की सुविधा प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीचे दी गई विशेषताओं के माध्यम से अपना व्यवसाय ऑनलाइन बढ़ाएंगे:-

- Create Digital Presence within Minutes
- Showcase Products & Services 24x7
- Keyword based Unlimited Tender alerts in your Inbox
- Award of Contract (AOC) Information of Tenders Awarded in Past
- Country Specific Global Tender Notices from World Bank, United Nations, ILO etc
- Business Trade Leads (Buy / Sell)
- Franchise, Subcontracting & Distribution Opportunities
- Special Offers on MSME Business Solutions
- Get information on upcoming Events and Exhibition

. मिनटों में डिजिटल उपस्थिति बनाएं

· प्रदर्शन उत्पाद और सेवाएं 24x7

· आपके इनबॉक्स में कीवर्ड आधारित असीमित टेंडर अलर्ट

- अनुबंध का पुरस्कार (एओसी) अतीत में प्रदान की गई निविदाओं की जानकारी
- विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, आईएलओ आदि से देश विशिष्ट वैश्विक निविदा नोटिस
- व्यापार व्यापार बिक्रीसूत्र (खरीदें/बेचें)
- मताधिकार, उपसंविदा और वितरण के अवसर
- एमएसएमई बिजनेस सॉल्यूशंस पर विशेष ऑफर
- आगामी घटनाओं और प्रदर्शनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें

9. How many times can I avail this subsidy?

मैं कितनी बार इस सब्सिडी का लाभ उठा सकता हूँ?

This subsidy can be availed once a year per Micro Unit / Enterprise having a valid Udyam certificate

यह सब्सिडी वर्ष में एक बार प्रति माइक्रो यूनिट/उद्यम के पास वैध उद्यम प्रमाणपत्र होने पर प्राप्त की जा सकती है

10. How can I avail the benefit of this scheme?

मैं इस योजना का लाभ कैसे उठा सकता हूँ?

To avail the benefit, you can visit online <https://www.msmemart.com/membership> or visit nearest NSIC field office with valid Udyam copy.

लाभ प्राप्त करने के लिए, आप ऑनलाइन <https://www.msmemart.com/membership> पर जा सकते हैं या वैध उद्योग प्रति के साथ निकटतम एनएसआईसी फील्ड कार्यालय जा सकते हैं।

11. Till when this scheme is valid?

यह योजना कब तक वैध है?

The scheme is valid upto FY 2025-26

यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक वैध है